न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०–4, गाजियाबाद।

रजि०नं०–3320/2023

विविध वाद संख्या 375/23

भूपेन्द्र बनाम प्रभात राय

मु०अ०सं० 1934/17

धारा–366 IPC

थाना–कविनगर, गाजियाबाद।

दिनांक 24.03.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 से लम्बित चल रही है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायायल ने याचिका संख्या– 2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य निर्णय दिनांकित 09–10–2013 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम रिपोर्ट का निस्तारण न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट आने के तीन माह के अंदर हो जाना चाहिए। वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अंतिम रिपोर्ट का विरोध न करने पर यह उपधारणा बनती है कि उसे अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है।

वर्तमान मामले में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त मामले में विवेचना करायी गयी तथा सम्बन्धित विवेचक द्वारा दौरान किसी जुर्म का होना नही पाया गया साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत मामले में विगत लम्बे समय से वादी मुकदमा को बार–बार नोटिस जारी किये जा रहे हैं अनेक अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी वादी मुकदमा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है और न ही अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति ही दाखिल की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के निस्तारण में कोई रूचि लेना नहीं चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से भी विवेचना का नियमानुसार किया जाना दर्शित हो रहा है तथा विवेचक द्वारा उचित निष्कर्ष लिये गये हैं। ऐसी दशा में मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तदनुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(करिश्मा जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट सं०–4, गाजियाबाद।
J.O.Code UP–3509

Digitally signed by KARISHMA JAISWAL
Date: 2025.04.19 14:29:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court